

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 612]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 5, 2015/आश्विन 13, 1937

No. 612]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2015/ASVINA 13, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2015

सं. 1/2015- स्वापक नियंत्रण-1

सा.का.नि. 757(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, पहली अक्तूबर, 2015 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2016 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तें अधिसूचित करती है:—

1. खेती करने के स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए।

2. कृषि हेतु पात्रता

इस अधिसूचना के खण्ड 3 और 7 के अध्यधीन निम्नलिखित अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे-

(i) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2014-15 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में औसतन अफीम की उपज कम से कम 56 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 52 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की औसत अफीम उपज सौंपी थी।

- (ii) किसान जिन्होंने इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल को नष्ट किया हो, परन्तु जिन्होंने इसी तरह फसल वर्ष 2012-13 के दौरान अपनी सम्पूर्ण पोस्त फसल की दोबारा जुताई नहीं की।
- (iii) किसान जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2014-15 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो।
- (iv) किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2012-13 अथवा किसी अगले वर्ष में पोस्त की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र थे, किन्तु किसी कारणवश, स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा, जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती वास्तव में न की हो।
- (v) किसान जो मृत किसानों के कानूनन वारिस हैं और यदि एक से अधिक ऐसे कानूनन वारिस हैं तो उनमे से एक जिसको लाइसेंस के उद्देश्य के लिये जिला अफीम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये।

3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो/करती हो:—

- (i) उसने फसल वर्ष 2014-15 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% क्षम्य क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो;
- (ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषिध तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगाया गया हो;
- (iii) फसल वर्ष 2014-15 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्ही विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो;
- (iv) उसने फसल वर्ष 2014-15 के दौरान मिलावटी अफीम अथवा राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर द्वारा 'घटिया' के रूप में वर्गीकृत अफीम नहीं सौंपी हो, अर्थात ऐसी अफीम—
 - (क) जिसकी मार्फिन सघनता शुष्क आधार पर 9 प्रतिशत से कम हो,
 - (ख) जिसमें राख 4.5 प्रतिशत से अधिक हो, तथा
 - (ग) जिसमें स्टार्च, चीनी, गोंद, टेनिन, मिल्क पाउडर आदि मौजूद हो।

4. अधिकतम क्षेत्र

- (i) उपवाक्य 2(i) से (v) के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र किसानों को 10 आरी के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। तथापि उपवाक्य 2(i) के अंतर्गत आने वाले जिन किसानों ने 58 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या इससे अधिक की औसत पैदावार दी है उनको 15 आरी के लिए लाइसेंस दिया जाएगा, उपवाक्य 2(i) के अंतर्गत आने वाले जिन किसानों ने 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या इससे अधिक की पैदावार दी है उनको 20 आरी के लिए लाइसेंस दिया जाएगा और उपवाक्य 2(i) के अंतर्गत आने वाले जिन किसानों ने 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत पैदावार दी है उनको 25 आरी के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। ये किसान लाइसेंस दिए गए क्षेत्र से कम कितने भी क्षेत्र में खेती कर सकते हैं।
- (ii) किसान अधिकतम दो भूखंडों में अफीम पोस्त बो सकते हैं;
- (iii) यदि किसान चाहें तो दूसरों के स्वामित्व के भूखंडों को पट्टे पर लेने की अनुमति दी जायेगी।

5. पूर्व चेतावनी

- (i) आने वाले वर्ष 2016-17 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2015-16 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों के लिए 58 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम औसत उपज और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 52 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम औसत उपज देना जरूरी है।
- (ii) वर्ष 2015-16 के दौरान सौंपी गयी अफीम में शामिल मोर्फिन अवयव फसल वर्ष 2015-16 के लिये भुगतान का तथा फसल वर्ष फसल वर्ष 2016-17 में लाइसेंस हेतु पात्रता का आधार बन सकता है, यदि सरकार इस संबंध में ऐसा करने का निर्णय लेती है;
- (iii) ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान अपनी पूरी फसल की जुताई कर दी थी उनको फसल वर्ष 2016-17 के लिए लाइसेंस का पात्र नहीं माना जाएगा, यदि वे फसल वर्ष 2015-16 में भी पुन: अपने फसलों की पूरी तरह जुताई कर दी हो।
- (iv) ऐसे किसान अगले फसल वर्ष 2016-17 में लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे जिनकी फसल वर्ष 2014-15 की अफीम में पानी की मिलावट पाई गई हो तथा उसका गाढ़ापन 55 डिग्री से कम पाया गया हो।
- (v) ऐसे किसान जिनकी फसल वर्ष 2015-16 की अफीम राजकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच अथवा गाजीपुर द्वारा मिलावटी पाई जाती है तथा घटिया के रूप में वर्गीकृत की जाती है वे अगले वर्ष 2016-17 में लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे। राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर निम्न 3 में से किन्हीं भी कारणों के आधार पर अफीम को घटिया गुणवता वाली घोषित करेगी-
 - (क) यदि अफीम की मार्फिन सघनता शुष्क आधार पर 9 प्रतिशत से कम हो,
 - (ख) यदि अफीम में राख 4.5 प्रतिशत से अधिक हो,
 - (ग) यदि अफीम में स्टार्च, चीनी, गोंद, टेनिन, मिल्क पाउडर आदि मौजूद हो।

6. माफी योग्य सीमा

यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंसशुदा क्षेत्र से 5 प्रतिशत तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है।

7. विविध

- (i) जो किसान वर्ष 2015-16 के दौरान अफीम पोस्त की खेती अपने भू-खंड पर नहीं, बल्कि दूसरों से पट्टे पर लिये गये भू-खंड पर करता है, भू-खंड के स्वामी का ब्यौरा, सर्वेक्षण संख्या और स्वापक आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य ब्यौरा प्रदान करेगा।
- (ii) इन सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों से नार्कोटिक्स आयुक्त/नार्कोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने/उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती जब कभी स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए।
- (iii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिगृहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने निर्धारित उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा।

- (iv) लाइसेंस इस अतिरिक्त शर्त के अध्यधीन होगा कि अफीम को निकाले बिना पोस्त भूसी प्राप्त करने के लिए किसी भी खेत को चुना जा सकता है। जिन किसानों के खेत ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अन्यथा पात्र होने पर अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे।
- (v) किसी किसान द्वारा सौंपी गई अफीम की मात्रा की गणना राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर में किए गए विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री गाढ़ेपन पर की जाएगी।

[फा. सं. 14011/1/2015-स्वापक नियंत्रण-I]

टी. के. सत्पथी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2015

No. 1/2015-Narcotics Control-1

G.S.R. 757(E).—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of license specified below for cultivation of opium poppy on account of the Central Government during the Opium Crop Year Commencing on the 1st day of October, 2015 and ending with the 30th day of September, 2016.

1. Place of Cultivation

Opium poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. Eligibility for Cultivation

Subject to clauses 3 and 7 of this notification, the following shall be eligible for a licence to cultivate opium poppy:

- (i) Cultivators who had cultivated opium poppy during the crop year 2014-15 and tendered an average yield of opium of not less than 56 kg/hectare in the States of Madhya Pradesh and Rajasthan and an average yield of opium of not less than 52 kg/hectare in the State of Uttar Pradesh.
- (ii) Cultivators who ploughed back their entire poppy crop cultivated during the crop year 2013-14 & 2014-15 under the supervision of the Central Bureau of Narcotics in accordance with the provisions in this regard, but had not similarly ploughed back their entire poppy crop during 2012-13.
- (iii) Cultivators whose appeal against refusal of License has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2014-15.
- (iv) Cultivators who cultivated opium poppy in the crop year 2012-13 or during any subsequent crop year and were eligible for a license in the following crop year, but did not voluntarily obtain a license for any reason, or who after having obtained a license for the following crop year, did not actually cultivate opium poppy due to any reason.
- (v) Cultivators who are the legal heirs of deceased eligible cultivators and in case there are more than one such legal heir, the one determined by the District Opium Officer as legal heir for the purpose of the license.

3. Conditions of License

No cultivator shall be granted license unless he/she satisfies that:

- (i) He/She did not, in the course of actual cultivation, exceed the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2014-15 beyond the 5% 'Condonable Limit' allowed in the licensing policy.
- (ii) He/she did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, and the Rules made there under.

- (iii) He/she did not during the crop year 2014-15 violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/ Narcotics Commissioner to the cultivators.
- (iv) He/she did not tender during 2014-15 adulterated opium or opium classified as 'inferior opium' by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch/Ghazipur, i.e. opium with
 - a. morphine strength of less than 9% on dry basis,
 - b. ash content of over 4.5%.
 - c. any amount of starch, sugar, gum, tannin, milk powder, etc.

4. Maximum Area

- (i) All eligible cultivators under clause 2(i) to (v) will be issued license for 10 Ares. However, cultivators who tendered average yield of 58 kg/hectare and above under clause 2(i) category will be issued licenses for 15 Ares, cultivators who tendered average yield of 60 kg/hectare and above under clause 2(i) category will be issued licenses for 20 Ares and cultivators who tendered average yield of 65kg/hectare and above under clause 2(i) category will be issued license for 25 Ares. The cultivators can cultivate in any area less than the licensed area.
- (ii) Cultivators can sow opium poppy in not more than two plots.
- (iii) Cultivators will be permitted to take on lease, land belonging to others, to make up the licensed area, if they so desire.

5. Forewarning

- (i) A minimum qualifying yield of 58 kg/hectare in Madhya Pradesh and Rajasthan and 52 kg/hectare in Uttar Pradesh must be tendered during the crop year 2015-16 to become eligible for a license to cultivate opium poppy in the following year i.e. 2016-17.
- (ii) Morphine content of opium tendered during 2015-16 may become the basis for payment for the crop year 2015-16 and eligibility for license in crop year 2016-17, if the Government decides to do so in this regard.
- (iii) Cultivators who had fully ploughed back their entire poppy during crop year 2013-14 and 2014-15 would not be entitled for license in the crop year 2016-17, if they also <u>plough back</u> their crop fully in the crop year 2015-16.
- (iv) Cultivators, whose opium for the crop year 2015-16 is found to be 'water mixed' and of consistency lower than 55 degrees will not be eligible for a license in the next crop year 2016-17.
- (v) "Cultivators whose opium for the crop year 2015-16 is found to be adulterated or classified as 'inferior' by the Government Opium & Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur will not be eligible for license in the next crop year 2016-17. The Government Opium & Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur will declare the opium to be 'inferior' on any of the following three grounds:
 - a. If the morphine strength of opium is less than 9% on dry basis,
 - b. If the opium has ash content of over 4.5%,
 - c. If there is any amount of starch, sugar, gum, tannin, milk powder, etc. present in the opium."

6. Condonable Limit:

If the area actually cultivated is up to 5% in excess of the licensed area, such excess cultivation may be condoned.

7. Miscellaneous

- (i) Any cultivator who cultivates opium poppy during 2015-16 in his own land or in the land leased from others shall provide details of owner of the plot, survey number and any other details as may be directed by the Narcotics Commissioner.
- (ii) These General Licensing conditions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/ Deputy Narcotics Commissioner to issue/ withhold a license whenever it is

- deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.
- (iii) The license will be subject to the condition that any field may be taken over for any research that may be conducted by the Government directly or in collaboration with any specialized Institution or Agency. The cultivator whose field is selected for research shall be considered for license for the next year, if he has tendered the stipulated MQY and is otherwise eligible. The area taken over for research will not be taken into account while calculating the yield.
- (iv) The license shall be subject to the further condition that any field may be selected for obtaining poppy straw without extraction of opium. The cultivators whose fields are selected for such use shall be eligible for a license for the next crop year, if otherwise eligible.
- (v) The quantity of opium tendered by a farmer will be calculated at 70° consistency, on the basis of analysis by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur.

[F. No. 14011/01/2015-NC.1]

T. K. SATPATHY, Under Secy.